न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 49 / 2020 (2020 / 00249)

अनवान : –

1. गणेशाराम पुत्र चन्दूराम जाति जोगी निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 105 / 101 के खसरा नम्बर 65 की 2.6430 है0, खसरा न0 333 की 0.101 है0, खसरा न0 334 की 2.2760 है0, खसरा न0 732 की 13.2910 है0 इस प्रकार कुल खसरा 4 की 18.3110 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम गोपीराम पुत्र चन्दूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम की बजाये गोपीराम पुत्र चन्दूलाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता चन्दूराम के गोपीराम नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, क्षेत्रीय क्रिकेट खेल कूद प्रतियोगिता वर्ष 1987, पैन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत शेरड़ा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में गणेशाराम की बजाए गोपीराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम गोपीराम पुत्र चन्दूलाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:11 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र चन्दूलाल दर्ज होने से प्रार्थी को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम गोपीराम पुत्र चन्दूलाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

105/101 के खसरा नम्बर 65 की 2.6430 है0, खसरा न0 333 की 0.101 है0, खसरा न0 334 की 2.2760 है0, खसरा न0 732 की 13.2910 है0 इस प्रकार कुल खसरा 4 की 18.3110 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया तथा तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें नाम संशोधन की अनुशंषा की गई है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 105/101 के खसरा नम्बर 65 की 2.6430 है0, खसरा न0 333 की 0.101 है0, खसरा न0 334 की 2.2760 है0, खसरा न0 732 की 13.2910 है0 इस प्रकार कुल खसरा 4 की 18.3110 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र चन्दूलाल दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, क्षेत्रीय क्रिकेट खेल कूद प्रतियोगिता वर्ष 1987, पैन कार्ड इत्यादि पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम गणेशाराम पुत्र चन्दूराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 105/101 के खसरा नम्बर 65 की 2.6430 है0, खसरा न0 333 की 0.101 है0, खसरा न0 334 की 2.2760 है0, खसरा न0 732 की 13.2910 है0 इस प्रकार कुल खसरा 4 की 18.3110 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम **''गोपीराम पुत्र चन्दूलाल के स्थान पर गोपीराम उर्फ गणेशाराम पुत्र चन्दूराम''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए गोपीराम पुत्र चन्दूलाल ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2021 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:11 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)